


न्यायालय तहसीलदार जालोर

सरकार बनाम राणाजी पुत्र वेलाजी रेबारी नि० देलदरी  
मुकदमा नं. 18/2019 **RCMS - 00010/2019**  
धारा 91 LR ACT 1956

निर्णय

दिनांक 16.12.2019

पत्रावली आज पेश हुई गैर सायल अनुपस्थित, पटवारी हल्का बिबलसर की रिपोर्ट अनुसार मौजा देलदरी के खसरा नं. 1343 रकबा 0.01 है० किस्म गै०मु०आगोर भूमि पर संवत् 2076 मे कब्जा काश्त रूप मे अतिक्रमण की रिपोर्ट प्रस्तुत की थी, जो दर्ज रजिस्टर कर नियमानुसार गैर सायल को धारा 91 (3) के तहत जरिये नोटिस तलब किया गया, पटवारी हल्का बिबलसर की रिपोर्ट अनुसार गैर सायल राणाजी पुत्र वेलाजी रेबारी नि० देलदरी मौजा देलदरी के खसरा नं. 1343 रकबा 0.01 है० पर अतिक्रमी घोषित किया जाता। गैर सायल द्वारा अपने कब्जे की वैधता मे कोई साक्ष्य सबुत पेश नहीं किया। अतः राज० भू० रा० अधिनियम 1956 की धारा 91 के तहत अतिक्रमी घोषित किया जाकर जुर्माना ग्राम की दर 0.00 रूपये प्रति हैक्टर के हिसाब से 0.01 हैक्टर की दर 0.16 रूपये का पचास गुणा से 8.00 रूपये अक्षरे आठ रूपये आरोपित किया जाता है व मौके पर से भौतिक रूप से बेदखली के आदेश दिये जाते है। पटवारी हल्का को बेदखल हेतु व टी. आर.ए. मांग कायमी हेतु लिखा जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो निर्णय सरे इजलास आज दिनांक 16.12.2019 को सुनाया गया।

  
तहसीलदार, जालोर  
तहसीलदार, जालोर